मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9/03/2020

क्र. एफ 16-05/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स वंडर सीमेंट लि. (आर.के. ग्रुप) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खेरवास, तहसील-बदनावर, जिला-धार में (प्रथम चरण में रू. 200 करोड़ के पूंजी निवेश) सीमेंट ग्राईडिंग इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के पुर्नविलोकन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत 220 के व्ही लाइन से नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त करने के दृष्टिगत 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे। प्रकरण विशेष हेतु ऊर्जा विभाग पृथक से विद्युत शुल्क से छूट संबंधी अधिसूचना जारी करेगा।
2. परियोजना के परिप्रेक्ष्य में जारी शासन आदेश क्रमांक **एफ 16 -05/2019/ए-ग्यारह** दिनांक 22/06/2019 में उल्लेखित शेष अन्य सुविधाओं का लाभ कम्पनी की परियोजना को यथावत प्राप्त होगा।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

2/ यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के निर्णय के आईटम क्रमांक 01 दिनांक 06/02/2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

9/3/20

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ.क्र. एफ 16-05/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 9 /03/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स वंडर सीमेंट लि. (आर.के. ग्रुप), Makrana Road, Madanganj, Kishangarh - 305 801, District - Ajmer, Rajasthan.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/3/20

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग